Amar Ujala
Delhi, 4th April 2014, Page-5

# अशक्त बच्चों को मिलेगा आरक्षण का लाभ

## प्वाइंट सिस्टम और नेबरहुड प्रक्रिया इन बच्चों पर नहीं होगी लागू

नई दिल्ली (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने कहा है कि नर्सरी दाखिलों के लिए निर्धारित प्वाइंट सिस्टम अशक्त बच्चों के दाखिलों और अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। यही नहीं, स्कूल के आसपास रहने वाले बच्चों के दाखिले के लिए बनाया गया क्राइटेरिया भी इन बच्चों पर लागू नहीं होगा। अदालत ने सरकार को इन बच्चों के दाखिलों के लिए ठोस नियम तय करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट व आरवी इश्वर की खंडपीठ ने यह फैसला अशक्त श्रेणी के बच्चों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षित श्रेणी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि अशक्त श्रेणी के बच्चों को उनके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इन बच्चों के लिए नर्सरी, प्री-नर्सरी व अन्य कक्षाओं में सीटें आरक्षित रखना जरूरी है।

खंडपीठ ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षा निदेशालय के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी सभी सरकारी व प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में अशक्त बच्चों के दाखिले सुनिश्चित करने के लिए उनकी सूची बनाए। इन संस्थानों में अशक्त की प्रकृति, उसका पूरा विवरण और संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जाए।

अदालत ने याची के अधिवक्ता द्वारा इस अहम मुद्दे को उठाने पर सराहना भी की। जनहित याचिका प्रमोद अरोड़ा ने दायर की थी। उन्होंने अधिवक्ता कीर्ति उप्पल के जरिए तर्क रखा कि उपराज्यपाल ने नर्सरी दाखिले के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनमें अशक्त बच्चों के लिए आरक्षित तीन प्रतिशत सीट खत्म करके गरीब बच्चों के लिए बनाए गए कोटे में शामिल कर दी हैं।

### दिशा-निर्देश जारी करने से स्थिति होगी साफ

नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष अमिता मूला पटल ने बताया कि हम तो दाखिले शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले निदेशालय को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इंटरस्टेट और एल्युमिनाई पर अभी भी असमंजस है। आदेश के बाद कुछ हद तक कनफ्यूजन दूर हुई है, अब तो निदेशालय की गाइडलाइंस का इंतजार रहेगा।